संख्या-273/2026/I/1379551/2026/002/23-6099/35/2024

प्रेषक,

सुबास राम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

**लोक निर्माण अनुभाग-6** **लखनऊ : दिनांक 30 जून, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राज्य योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत बरेली क्षेत्र के कतिपय जनपदों के कुल 20 सेतुओं के चालू कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, (सेतु विंग), लो0नि0वि0, लखनऊ के कतिपय पत्रांक (तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत बरेली क्षेत्र के कतिपय जनपदों के कुल 20 सेतुओं के चालू कार्य हेतु निम्नानुसार रू0 2312.99 लाख (रूपये तेईस करोड बारह लाख निन्यानबे हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

| क्र0 सं0 | कार्यालय मुख्य अभियन्ता (सेतु विंग) का पत्रांक | खण्ड/ जनपद का नाम | कार्य | स्वीकृति का शासनादेश संख्या | स्वीकृत / प्राविधिक/ बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत | अब तक आवंटन | अवशेष | आवंटन धनराशि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | अनुदान सं0-57 | अनुदान सं0-83 | योग (9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 22914/CE-SEB/RYB/BAR/2026-27 Dt- 19-06-2026 | प्रा.ख. बदायूं | जनपद बदायूं में आनंदपुर से करौरी सैदपुर मार्ग पर 7×3×3 लघु एवं पहुंच मार्ग अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य। | 315/2025/आई/1130309/2025/23-6099/184/2025-दिनांक-31-10-2025 | 211.81<br>208.07<br>0.00<br>208.07 | 61.61 | 146.46 | 78.79 | 21.21 | 100.00 |
| 2 | तदैव | प्रा.ख. बदायूं | ग्राम सेवा नगला से महुआ खेडा देवी मंदिर मार्ग में अरिल नदी पर 7x3x3 मी० स्पान के लघु सेतु का निर्माण कार्य। | 315/2025/आई/1130309/2025/23-6099/184/2025-दिनांक-31-10-2025 | 355.84<br>355.84<br>3.48<br>352.36 | 128.07 | 224.29 | 78.79 | 21.21 | 100.00 |
| 3 | तदैव | प्रा.ख. बरेली | जनपद बरेली में भदरक भुड़िया उदा के मध्य गोरा नाले पर पुराने क्षमिग्रस्त लघु सेतु के स्थान पर 4x4 मी0 5 सेल के बाक्स कल्वर्ट एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग का कार्य। | 65/2026/आई/1259752/2026/23-6099/71/2026-दिनांक-09-03-2026 | 170.55<br>170.55<br>15.00<br>155.55 | 0.51 | 155.04 | 115.44 | 31.07 | 146.51 |
| 4 | तदैव | प्रा.ख. बरेली | जनपद बरेली में विकास खण्ड नवाबगंज के ग्राम रिछौला चौधरी से वरा-बरौर मार्ग के किमी0-2 में ग्राम अंटगा में नकटिया नदी पर 3×12 मी0 स्पान का लघु सेतु, पहुंच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य। | 150/2026/आई/1279602/2026/23-6099/86/2026-दिनांक-25-03-2026 | 428.09<br>0.00<br>0.00<br>428.09 | 50.08 | 378.01 | 275.76 | 74.24 | 350.00 |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | तदैव | प्रा.ख. पीलीभीत | जनपद पीलीभीत में एन०पी०डी०पी० कि०मी०- 77 में क्षतिग्रस्त रपटा पुल पुलिया के स्थान पर 3x18 मी० स्पान के लघु सेतु पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य। | 344/2025/आई/1 145165/2025/23 -6099/178/2025 -दिनांक-17-11-20 25 | 488.28 488.28 3.28 485.00 | 18.04 | 466.96 | 157.58 | 42.42 | 200.00 |
| 6 | 23061/CE-SEB/RYB/BA R/2026-27 Dt- 23-06-2026 | नि.ख.- 2 बदायूं | जनपद बदायूँ में बिल्सी विधान सभा क्षेत्र में औरंगाबाद ठप्पा जैमनी मार्ग के किमी0-1 से टोफी नगला मार्ग पर 3x2 मी0 स्पान के लघु सेतु का निर्माण कार्य। | 298/2025/आई/11 26452/2025/23- 6099/166/2025 - दिनांक-29-10-202 5 | 52.60 52.60 1.65 50.95 | 5.23 | 45.72 | 23.64 | 6.36 | 30.00 |
| 7 | तदैव | नि.ख.- 2 बदायूं | जनपद बदायूं में तिलियाखाता से हरसिंहपुर से भैसोर नदी पर 3x6 मी० स्पान के लघु सेतु पहुंच मार्ग अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य। | 315/2025/आई/11 30309/2025/23- 6099/184/2025- दिनांक-31-10-202 5 | 277.35 277.35 10.03 267.32 | 89.08 | 178.24 | 94.55 | 25.45 | 120.00 |
| 8 | तदैव | नि.ख.-2 बदायूं | जनपद बदायूं में कोटाल नगला से खिरकवारी मानपुर पुख्ता रोड महावा नदी पर 6x5 मी0 स्पान के लघु सेतु पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण। | 344/2025/आई/1 145165/2025/23 - 6099/178/2025- दिनांक-17-11- 2025 | 180.18 180.18 1.16 179.02 | 10.11 | 168.91 | 94.55 | 25.45 | 120.00 |
| 9 | तदैव | नि.ख.-1 पीलीभीत | जनपद पीलीभीत में आयी बाढ़ से क्षतिग्रस्त नगरिया फतेहपुर के निकट पुराने बीसलपुर मार्ग पर देवहा नदी पुल की अतिरिक्त पहुंच मार्ग के चैनेज 1.034 से 1.089 पर 5 सेल 3x3 मीटर स्पॉन का बाक्स कल्वर्ट एवं पहुंच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य का नव निर्माण कार्य। | 315/2025/आई/11 30309/2025/23- 6099/184/2025- दिनांक-31-10- 2025 | 80.01 80.01 9.73 70.28 | 31.52 | 38.76 | 23.64 | 6.36 | 30.00 |
| 10 | तदैव | नि.ख.-1 पीलीभीत | जनपद पीलीभीत में आयी बाढ़ से क्षतिग्रस्त नगरिया फतेहपुर के निकट पुराने बीसलपुर मार्ग पर देवहा नदी पुल की अतिरिक्त पहुंच मार्ग के चैनेज 2.056 से 2.111 पर 5 से ल 3x3 मीटर स्पॉन का बाक्स कल्वर्ट एवं पहुंच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य का नव निर्माण कार्य। | 315/2025/आई/11 30309/2025/23- 6099/184/2025- दिनांक-31-10- 2025 | 80.81 80.81 7.97 72.84 | 31.84 | 41.00 | 25.21 | 6.79 | 32.00 |
| 11 | तदैव | प्रा.ख. पीलीभीत | जनपद पीलीभीत माधोटांडा कलीनगर शाहगढ आसाम मार्ग (अ0जि0मा0) किमी0- 27 में 3×5 मी0 स्पान बाढ़ में क्षतिग्रस्त मार्ग/पुलिया कटान के स्थान पर आर0सी0सी0 कल्वर्ट, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य की मरम्मत का कार्य। | 150/2026/आई/1 279602/2026/2 3- 6099/86/2026- दिनांक-25-03- 2026 | 193.60 193.60 3.57 190.03 | 0.02 | 190.01 | 39.40 | 10.60 | 50.00 |
| 12 | तदैव | नि.ख.-1 शा हजहांपुर | बझेडा भगवानपुर मार्ग से कुआडांडा संपर्क मार्ग पर 6 सैल 3x3 मीटर बाक्स कल्वर्ट, सुरक्षात्मक कार्य, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य। | 319/2025/आई/11 30369/2025/23- 6099/185/202 5 दि0-31.10.2025 | 342.22 342.22 51.71 290.51 | 2.56 | 287.95 | 23.64 | 6.36 | 30.00 |
| 13 | तदैव | नि.ख.-1 शाहजहांपुर | जनपद शाहजहाँपुर में कटिया मजरा मार्ग पर पड़ने वाले नाले पर 5 से 4x4 मी बाक्स कल्वर्ट, सुरक्षात्मक कार्य एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य। | 319/2025/आई/11 30369/2025/23- 6099/185/202 5 दि0-31.10.2025 | 96.63 92.47 0.00 92.47 | 0.72 | 91.75 | 23.64 | 6.36 | 30.00 |
| 14 | तदैव | नि.ख.-1 शा हजहांपुर | जनपद शाहजहाँपुर में विकास खण्ड ददरौल के ग्राम हसनपुर नौसारा गोपालपुर ठठियूरा के मध्य गरई नाला पर 4x4 मी० | 319/2025/आई/11 30369/2025/23- 6099/185/202 5 दि0-31.10.2025 | 326.12297.9 3 17.58 280.35 | 2.45 | 277.90 | 39.40 | 10.60 | 50.00 |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | बाक्स कल्वर्ट, सुरक्षात्मक कार्य, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य। | | | | | | | |
| 15 | तदैव | प्रा.ख. शाहजहांपुर | महमूदपुर सहजानिया सम्पर्क मार्ग के किमी-3 से ग्राम नत्थापुर सम्पर्क मार्ग पर 3x2 मी0 स्पान के बाक्स सेल का निर्माण कार्य। | 298/2025/आई/11 26452/2025/23-6099/166/2025 - दिनांक-29-10-2025 | 194.31 194.31 8.57 185.74 | 64.51 | 121.23 | 87.86 | 23.65 | 111.51 |
| 16 | तदैव | प्रा.ख. शाहजहांपुर | जनपद शाहजहांपुर में भाम्भी सम्पर्क मार्ग पर 2x3 मीटर स्पान के बाक्स सेल का निर्माण कार्य। | 314/2025/आई/11 30295/2025/23-6099/171/2025- दिनांक-31-10-2025 | 68.68 68.68 6.26 62.42 | 17.17 | 45.25 | 32.95 | 8.87 | 41.82 |
| 17 | तदैव | प्रा.ख. शाहजहांपुर | जनपद शाहजहाँपुर में ग्राम कुकहा महमूदपुर से प्राइमरी स्कूल विक्रमपुर चकोरा सम्पर्क मार्ग पर 4 x 6.00 मीटर स्पान के लघु सेतु एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग मार्ग का निर्माण कार्य। | 344/2025/आई/11 45165/2025/23-6099/178/2025-दिनांक-17-11-2025 SI-25 | 425.64 425.64 81.66 343.98 | 45.00 | 298.98 | 218.80 | 58.90 | 277.70 |
| 18 | तदैव | प्रा.ख. शाहजहांपुर | जनपद शाजहांपुर में मझिला से ढकियारघा मार्ग के किमी 6 पर 2x5 मीटर स्पान के लघु सेतु का निर्माण | 150/2026/आई/12 79602/2026/23-6099/86/2026-दिनांक-25-03-2026 | 73.39 73.39 0.10 73.29 | 0.50 | 72.79 | 54.47 | 14.66 | 69.13 |
| 19 | तदैव | प्रा.ख. शाहजहांपुर | जनपद शाजहांपुर में निगोही रेलवे फाटक से हरिकिशनपुर मार्ग पर स्थित ग्राम खिरिया में 4 गुणा 6 मीटर स्पान के लघु सेतु, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पुहंच मार्ग का निर्माण कार्य। | 150/2026/आई/12 79602/2026/23-6099/86/2026-दिनांक-25-03-2026 | 404.26 404.26 31.46 372.80 | 1.00 | 371.8 | 277.02 | 74.57 | 351.59 |
| 20 | तदैव | प्रा.ख. शाह जहांपुर | जनपद शाहजहांपुर में ढकाधनश्याम से भितिया सम्पर्क मार्ग पर 2 गुणा 5 मी0 आर0 सी0 सी0 पुलिया का निर्माण। | 150/2026/आई/12 79602/2026/23-6099/86/2026-दिनांक-25-03-2026 | 80.68 80.68 3.42 77.26 | 0.50 | 76.76 | 57.30 | 15.43 | 72.73 |
| **कुल योग** | | | | | | | | **1822.43** | **490.56** | **2312.99** |

## नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त तालिका अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।

(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(8) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा। वर्तमान आबंटन के आधार पर लागत में सम्मिलित अनुरक्षण की धनराशि को व्यय नहीं किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय ( 1 ) रुपये 18,22,43,000 ( रुपये अठारह करोड़ बाईस लाख तैंतालीस हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य ( 2 ) रुपये 4,90,56,000 ( रुपये चार करोड़ नब्बे लाख छप्पन हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891400 कृषि विपरण सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुबास राम)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ।
(7) संबंधित कोषाधिकारी।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(10) नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट, लोक निर्माण विभाग ।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबास राम)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in